HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CRIMINAL APPEAL No. - 2649 of 1985

Sarafat And Others

.....Appellant(s)

Versus

State

.....Respondent(s)

Counsel for Appellant(s)	:	Ashutosh, P.N.Lal
Counsel for Respondent(s)	:	A.G.A.

Court No. - 84

HON'BLE CHAWAN PRAKASH, J.

1. अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता उपस्थित हैं।

2. कार्यालय आख्या दिनांकित 13.11.2025 तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामपुर की आख्या दिनांकित 20.08.2025 के अनुसार अपीलार्थी संख्या 2 रईस दुला पुत्र श्री सलामत खान की मृत्यु दिनांक 19.09.2017 को हो चुकी है। आख्या के अनुसार उप-निरीक्षक महेन्द्रपाल सिंह, थाना शहजादनगर, जिला रामपुर, ग्राम प्रधान-विनोद तथा मृतक के परिजनों के बयान अंकित किये गये हैं।

3. चूंकि अपीलार्थी संख्या 2 रईस दुला की मृत्यु हो चुकी है, अतः उनके विरूद्ध कार्यवाही उपशमित की जाती है।

4. उपरोक्त आख्या के अनुसार अपीलार्थी संख्या 1 सराफत खान तथा अपीलार्थी संख्या 3 नईम खान पर नोटिस की तामील व्यक्तिगत रूप से हुई है, तामील के बावजूद दोनों अपीलार्थीगण अनुपस्थित हैं। अपीलार्थी संख्या 1 सराफत खान एवं 3 नईम खान के विरूद्ध गैर-जमानतीय वारण्ट जारी किये जाएं, जिनकी तामील मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामपुर के माध्यम से की जाएगी।

5. यदि दोनों अपीलार्थीगण विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामपुर के समक्ष स्वयं उपस्थित होते हैं या उपस्थित किये जाते हैं तो उस दशा में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दोनों अपीलार्थीगण को 25,000-25,000/- रुपए के व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो-दो प्रतिभू दाखिल करने पर एवं इस आशय के शपथ-पत्र के साथ रिहा करेंगे कि वह अगली नियत तिथि पर इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।

6. इस अपील को दिनांक 17.02.2026 को सूचीबद्ध किया जाए।

7. यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामपुर और पुलिस अधीक्षक, रामपुर को निबन्धक (अनुपालन) द्वारा 48 घण्टे के भीतर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाए।

(Chawan Prakash,J.)

January 13, 2026
Rahul

Digitally signed by :-
RAHUL KUMAR
High Court of Judicature at Allahabad